

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-179/2020 - 3392.

/पटना, दिनांक-- 16/9/20.

प्रेषक,

संजय दूबे भा0 प्र0 से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय— योजना शीर्ष 4515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103--ग्राम विकास--राज्य योजना--उप शीर्ष--0105--ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्बंधित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर--तारापुर के अधीन खड़गपुर प्रखंड के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर--तारापुर के अधीन खड़गपुर प्रखंड के मुजफ्फरगंज मुख्य पथ में मठघाट होते हुए छोटी गोपालपुर तांती टोला एवं डुमरहाट तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 3.00 कि० मी० निर्माण की राशि रु० 232.26 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० 23.22 लाख अर्थात् कुल राशि 255.48 लाख (दो करोड़ पचपन लाख अड़तालिस हजार रुपये) मन्त्र की मंजूरी पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103--ग्राम विकास--राज्य योजना--उप शीर्ष--0105--ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्बंधित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर--तारापुर के अधीन खड़गपुर प्रखंड के मुजफ्फरगंज मुख्य पथ में मठघाट होते हुए छोटी गोपालपुर तांती टोला एवं डुमरहाट तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 3.00 कि० मी० निर्माण की राशि रु० 232.26 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० 23.22 लाख अर्थात् कुल राशि 255.48 लाख (दो करोड़ पचपन लाख अड़तालिस हजार रुपये) मन्त्र की मंजूरी पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पूरा किये जाने का इरादा है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर--तारापुर के अधीन खड़गपुर प्रखंड के मुजफ्फरगंज मुख्य पथ में मठघाट होते हुए छोटी गोपालपुर तांती टोला एवं डुमरहाट तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 3.00 कि० मी० निर्माण की राशि रु० 232.26 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० 23.22 लाख अर्थात् कुल राशि 255.48 लाख (दो करोड़ पचपन लाख अड़तालिस हजार रुपये) मन्त्र की मंजूरी पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावधान स्वीकृति प्रदान करा जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103--ग्राम विकास--राज्य योजना--उप शीर्ष--0105--ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्बंधित योजना) उपशीर्ष जिसका विपन्न कोड-- 37-4515001-0105 है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंधित राशि से दिक्कत न होगी।
5. योजना शीर्ष 4515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103--ग्राम विकास--राज्य योजना--उप शीर्ष--0105--ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्बंधित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंधित स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष मन्त्र की मंजूरी तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अथवा मुंगेर एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपस्था कराये।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर--तारापुर एवं स्थानीय स्तर पर यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा रा0 अ0 नं० मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-179/2020 के पृ० सं०-03/टि० पर दिनांक 15/09/2020 के किया गया।
9. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा रा0 अ0 नं० मु0 अ0-4 (मु0) रा0 यो0-03-179/2020 के पृ० सं०-05/टि० पर प्राप्त है।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

५

15/9/2020

10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकाली जायेगी।
11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुसार कार्यन्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत राशि की निकाली जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में विहित निर्देशों के अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर भर्गित किया जा रहा है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो० 03-179/2020 सं० 14-9-2020 पर दिनांक 14-9-2020 को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्निर्धारित की जायेगी अन्य मद में खर्च नहीं की जायेगी।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूरा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से भर्गित आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्य के संचालन तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी होने लगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि R11A के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिये नई स्वीकृति हेतु नए को भेजी जाये।

विश्वाशमय

(हस्ताक्षर)

(अध्यक्ष)
राज्य सचिव

ज्ञापक- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-179/2020 - 3392

पटना दिनांक-16/9/2020

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
उप-सचिव

ज्ञापक- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-179/2020 - 3392

पटना दिनांक-16/9/2020

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
उप-सचिव

ज्ञापक- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-179/2020 - 3392

पटना दिनांक-16/9/2020

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आस सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/ग्रामीण कार्य सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सचिव विभाग/प्रमुख अतिथि, मुख्य अधिकारी, मुंगेर/उप विकास, आयुक्त मुंगेर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव एवं सहायक सचिव, ब्राडा/मुख्य अभियंता-2, पटना रा० का० वि०/मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-179/2020 - 3392 को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
मुख्य अभियंता, रा० का० वि०, कार्य अंचल मुंगेर, कार्यपालक अभियंता, मुंगेर, कार्यपालक अभियंता, मुंगेर/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्य कर्मचारी, बंगला रोड, पटना, आई० टी० मैनेजर, रा० का० वि० का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना एवं सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
13/9/2020